

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर,
अपील संख्या 231/2014 एलआर एक्ट अनुवानी जगदीश बनाम ओम प्रकाश वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	हुक्म की तामील
13.11.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। रेस्पोंडेंट्स नं. 8 के अभिभाषक श्री सत्यनारायण तिवाड़ी एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। वकील अपीलांट श्री नन्द किशोर गांधी अनुपस्थित। यह प्रकरण चक 12 एलएलजी के इंतकाल नं. 105 दिनांक 22-01-2002 व इन्तकाल संख्या 106 दिनांक 16-3-2002 इस न्यायालय में अपील संख्या 21/98 अनुवानी जगदीश बनाम ओमप्रकाश वगैरह विचाराधीन रहने हुए तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध पेश हुई है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने निर्णय दिनांक 22-9-1997 द्वारा प्रकरण तहसीलदार सादुलशहर को मौके पर जांच करके एवं सभी सम्बन्धित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया था। उक्त इन्तकाल संख्या 105 एवं 106 के कॉलम नं. 16 में अंकित टिप्पणी के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 22-9-97 के आदेशानुसार दर्ज किये गये हैं। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27-6-18 को वकील अपीलांट को रेस्पोंडेंट संख्या 2, 5, 6 के निमित्त दैनिक समाचार पत्र मे सम्मन प्रकाशनार्थ प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया तत्पश्चात् दिनांक 4-9-18 से लगातार दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित सम्मन की प्रति पेश करने हेतु पाबन्द किया जा रहा है, जो आदिनांक पेश नहीं की गई। प्रश्नगत भूमि के संबंध में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर की अपील संख्या 134/2013 अनुवानी सावित्री बनाम ओमप्रकाश(मृतक) शांतिदेवी वगैरह निर्णय दिनांक 14-7-17 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा दावें में किये गये निर्णय दिनांक 3-12-2013 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया है। प्रकरण में आगामी कार्यवाही दावे के रिमाण्ड प्रकरण के निर्णय अनुसार ही सम्पन्न होनी है। इसलिए यह अपील गुणावगुण के आधार पर भी चलने योग्य नहीं है। वकील अपीलांट को आवाज लगवाई गई। बावजूद आवाज के न तो वकील अपीलांट उपस्थित आये और ना ही उनकी ओर से कोई वैधानिक प्रतिनिधि उपस्थित आये। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील के साथ साथ गुणावगुण के आधार पर चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।</p>	


संभागीय आयुक्त
बीकानेर

